राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 564/2024

कमलजीत सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 14.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, टाटनवा, तहसील धोंद, जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, भैंसवाडा, जालौर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में कमलजीत बगडिया अंकित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का सही नाम कमलजीत सिंह है और इस प्रकार गलत नाम दर्शाते हुये अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3074/2024 मंजू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 जिसमें गलत नाम

अंकित होने के आधार पर आलोच्य आदेश को अपास्त किया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी का नाम भी आलोच्य आदेश में गलत अंकित किया गया है। इस प्रकार जारी किया गया आलोच्य आदेश विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण टाटनवा धोंद, सीकर से भैंसवाडा, जालौर स्थानान्तरण किया गया है। उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी अल्प वेतन भोगी कार्मिक की श्रेणी में नहीं आता है और माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आधारों पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन पशुधन सहायक के पद पर उप केन्द्र, टाटनवा, तहसील धोंद, जिला सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप केन्द्र, भैंसवाडा, जालौर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी का नाम आलोच्य आदेश में कमलजीत सिंह के स्थान पर कमलजीत बगडिया अंकित करते हुये स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी के आरजीएचएस कार्ड एवं विभाग द्वारा पूर्व में जारी किया गया आदेश दिनांक 29.06.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम कमलजीत सिंह ही अंकित किया गया है। जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम कमलजीत सिंह के स्थान पर कमलजीत बगडिया अंकित किया गया है, जो गलत नाम अंकित किया गया है। ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3074/2024 मंजू बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 जिसमें निम्नलिखित अवधारित है :–

> *"Even if it is assumed that order impugned does not pertain to the present petitioner as the name mentioned in the impugned order at S.No. 42 cannot co-relate to the petitioner, the name of office as mentioned definitely pertains to the petitioner and it is clear that the*

order impugned pertains to her. But then, the same reflects clear non-application of mind and hence, the same cannot be affirmed."

इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का गलत नाम अंकित करते हुये बिना विवेक का प्रयोग किये आलोच्य आदेश जारी किया जाना प्रकट होता है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 26.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य